सन् १९४२ की अगस्त क्रान्ति में मधेपुरा का योगदान

दामोदर सिंह

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मधेपुरा जिला ने अहम् भूमिका निभाई है। आर्थिक विपन्नता एवं सामाजिक पिछड़ापन के बावजूद राष्ट्रीय पैमाने पर स्वतंत्रता सेनानियों के हर आह्वान का मधेपुरा ने प्रत्युत्तर दिया। सन् १८५७ के विद्रोह के समय आशा मण्डल के नेतृत्व में मधेपुरा लोक जागरण का अद्भुत केन्द्र था। इस विप्लव के बाद सारे देश की तरह मधेपुरा में भी राजनीतिक गतिविधियाँ ज्वालामुखी की तरह शांत थी। थोड़े ही दिनों में मुहरों गाँव के जमींदार रास बिहरी लाल मण्डल, बिहार प्रांतीय कांग्रेस के महासचिव दीपनारायण सिंह एवं उनकी पत्नी लीला सिंह के प्रयास से बीसवीं सदी के दूसरे दशक तक मधेपुरा में सर्वांगीण राष्ट्रीय एवं राजनैतिक चेतना का अभ्युदय हो गया था। इसका ज्वलंत प्रमाण १९१९ ई. में खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता मौलाना शौकत अली का मधेपुरा आगमन था।

परिणामस्वरूप १९२०-२१ के असहयोग आंदोलन (राजेन्द्र मिश्र, रायबहादुर सिंह एवं छेदी झा के नेतृत्व में), १९३० के सविनय अवज्ञा आंदोलन (नेतृत्व, रामबहादुर सिंह) शिवाधीन सिंह और शिवनन्दन प्रसाद मण्डल) चौथे दशक के अस्पृश्यता निवारण आंदोलन (नेतृत्व, राजेन्द्र मिश्र), दूसरे महायुद्ध के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह (नेतृत्व, कार्तिक सिंह और कमेलेश्वरी प्रसाद मण्डल) और १९४० ई. के छात्र आंदोलन (नेतृत्व, राधाकृष्ण चौधरी एवं राजेश्वरी प्रसाद मण्डल) में मधेपुरा ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ८ अगस्त १९४२ ई. को कॉग्रेस महासमिति की बम्बई में हुई बैठक में "अंग्रेजों, भारत छोड़ो" प्रस्ताव के साथ महात्मागाँधी के "करो या मरो" के संदेश ने अगस्त क्रान्ति का रूप धारण कर लिया। अगस्त क्रान्ति में मेंधेपुरा क्षेत्र के लोगों ने बड़े जोर शोर से भाग लिया। जब बम्बई में अखिल भारतीय कॉग्रेस महासमिति की बैठक चल रही थी तब राहुल सांकृत्यायन की अध्यक्षता में भागलपुर जिला छात्र संघ का अधिवेशन नौगछिया में हो रहा था। यह समारोह १० अगस्त १९४२ को समाप्त हुआ। उसी तिथि से सारा मधेपुरा राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए कटिबद्ध हो उठा। १४ अगस्त १९४२ को नौगछिया में आन्दोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से सम्पूर्ण मधेपुरा आन्दोलित हो उठा।[१]

---

*. Reader, Department of HIstory, B.S. College, Danapur (Patna).

वस्तुतः मधेपुरा अगस्त क्रान्ति के लिए पहले से ही तैयार था। कॉग्रेस में सदस्यों की भरती का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा था। ७ अगस्त से १५ अगस्त तक मेम्बरी दिवस'' के रूप में प्रचारित किया गया, जिसमें कांग्रेस ने मेम्बरशीप के लिए आह्वान किया। शिवनन्दन प्रसाद मंडल[२] ने देवेन्द्र प्रसाद नारायण यादव[३] को एक खत लिखकर सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। १३ अगस्त १९४२ को भूपेन्द्र नारायण मण्डल[४], वीरेन्द्र प्रसाद सिंह और देवता प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक महती जुलूस मधेपुरा कचहरी पहुँचा। वीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने कचहरी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया।[५] इस घटना से प्रोत्साहित होकर एक चौदह वर्षीय किशोर हरे कृष्ण चौधरी ने सीढ़ी से चढ़कर कचहरी के कोषागार भवन पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया।[६]

भूपेन्द्र नारायण मंडल ने मेधपुरा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के समक्ष कचहरी के बरामदे पर कांग्रेस के कार्यक्रम को पढ़कर सुनाया। जुलूस वहाँ से थाना और रजिस्ट्री ऑफिस गई और वहाँ भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया।[६]

१४ अगस्त को पुलिस ने मेधपुरा के कांग्रेस ऑफिस में ताला बन्द कर वहाँ सिपाहियों को तैनात कर दिया। १५ अगस्त को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और छात्रों की सहायता से कमलेश्वरी मंडल और प्रेमनारायण मिश्र आदि ने पुलिस बलों को भगा दिया और कांग्रेस कार्यालय पर फिर से अधिकार कर लिया। उसी दिन एक महती सभा का आयोजन किया गया जिसमें यह घोषणा कर दी गई कि राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो चुकी है।[८]

१६ अगस्त को सिंहेश्वर स्थान में हड़ताल रहा। कुछ प्रमुख कार्यकर्त्ताओं ने बाजार में आये हुए विशाल समूह को कांग्रेस का कार्यक्रम सुनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत भी गाये गये। तत्पश्चात् आन्दोलनकारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि तीसरे दिन से ५-५ स्वयंसेवकों के जत्थे कचहरी, थाना और अन्य सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने के लिए जायेगा। उनके गिरफ्तार होने या हताहत होने पर दूसरे जत्थे उनका स्थान ले लेंगे।[९] उसी दिन, अर्थात् १६ अगस्त् १९४२ ई. को किसुनगंज में उत्तेजित भीड़ ने सरकारी कार्यालयों पर धावा बोल दिया। थाना के सारे कागजात एवं रिकार्ड को जला दिये गये।[१०]

१७ अगस्त, १९४२ ई. को दोपहर एक बजे के लगभग हजार से अधिक लोग मधेपुरा कांग्रेस कार्यालय में जमा होने लगे। इस भीड़ में तीर धनुष धारी डंका बजाते हुए अनेक संथाल भी थे। भीड़ ने डंका बजाते हुए, नारा लगाते हुए, प्रख्यात कांग्रेसी नेता महताव लाल के नेतृत्व में स्वयंसेवकों के ५ जत्थे आगे बढ़कर फौजदारी अदालत तथा थाना और रजिस्ट्री ऑपिस में ताला लगा दिया। डाकघर और शराबखाने भी बन्द कर दिये।[११]

मधेपुरा अनुमंडल के सभी सरकारी कार्यालयों पर सत्याग्रह का कब्जा हो गया था। मधेपुरा का मुंसिफ १८ अगस्त् को कचहरी नहीं कर सका। मुरलीगंज थाना और डाकघर भी बन्द कर दिये गये। सोनबरसा थाना पूर्णतः जला कर भस्म कर दिया गया।[१२]

किसुनगंज थाना भी जनता के अधिकार में था उसपर फिर से नियंत्रण करने के लिए सशस्त्र पुलिस का दल भेजा गया। वहाँ पहुँचते ही पुलिस ने क्रान्तिकारियों के नेता वैद्यनाथ धर को पकड़ने के लिए सघन छापामारी शुरू कर दिया। २५ अगस्त, १९४२ ई. को रात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि क्रान्तिकारी वैद्यनाथ धर को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए तत्काल एक सैनिक टुकड़ी बाजा साह के घर की ओर रवाना हुई।[१३] जिस समय पुलिस टुकड़ी पहुँची उस समय बाजा साह अपने घर के बाहर पेशाब कर रहा था। बाजा साह को बैद्यनाथ धर समझकर पुलिस ने बाजा साह को गोली से छलनी कर दिया। वह घटनास्थल पर ही मर गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर जनसमूह में भारी उत्तेजना फैली किन्तु कुलानन्द झा और शिव नन्दन प्रसाद मण्डल के प्रयत्न से लोग शान्त रहे। पर बिहारीगंज में भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने रेलवे स्टेशन और रेलवे लाईन की तोड़ फोड़ की। मधेपुरा अनुमण्डल पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं रहा। अगस्त १९४२ की रिपोर्ट में आरक्षी अधीक्षक ने भी स्वीकारा कि मधेपुरा अनुमण्डल की स्थिति पूर्णतः काबू के बाहर है।[१४]

प्रत्येक दिन साँझ, सबेरे सत्याग्राहियों के जुलूस अनवरत निकलते रहे। सम्पूर्ण इलाके में जनता की सरकार की स्थापना हो गई थी। शिवनन्दन प्रसाद मण्डल मधेपुरा अनुमंडल के कांग्रेस के प्रभारी पदाधिकारी थे। इनका कार्य मधेपुरा इलाके में केन्द्रित था। मधेपुरा के पश्चिम अन्य चार शिविर कार्यरत थे। सैफावाद कचहरी में केन्द्रीय शिविर स्थापित था। इसके प्रभारी पंडित छेदी झा थे तथा सहरसा शिविर के प्रभारी श्रीनारायण शर्मा, पंचगछिया शिविर के बाबू राम बहादुर सिंह और चन्द्रायण के प्रभारी गुणानन्द झा थे। आदेश सैफावाद शिविर से जारी किये जाते थे। फिर वहाँ से अन्य शिविरों में विशेष दूत द्वारा भेजे जाते थे। सैफावाद में एक रेडियो सेट भी लगा था जिसके माध्यम से अन्य शिविरों में खबर भेजी जाती थी।[१५]

लगभग २० गाँवों के प्रतिनिधियों की सभा में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक गाँव में पंचायत स्थापित किया जाय तथा हर पंचायत में एक सरपंच, एक मंत्री तथा ५,७, या ९ पंच हो। पंचों की संख्या गाँवों की आवादी के अनुपात में हो। पंचायत में सभी जातियों एवं समुदायों के प्रतिनिधि रखने के सभी संभव प्रयास किये गये थे। गाँव के सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर पंचायत का काम करते थे। गाँव से सम्बन्धित सभी मामलों पर इसमें विचार विमर्श एवं निर्णय किये जाते थे। पंचायत की बैठक सप्ताह में एक बार होती थी और आवश्यकानुसार अधिक बार भी हो सकती थी। हर पाँच बस्तियों के लिए एक पंचायत थी। उन गाँवों के सरपंच इसके सदस्य होते थे। इसमें एक से अधिक बस्ती से सम्बद्ध मामलों पर फैसला किया जाता था तथा अपीलें सुनी जाती थी।[१६]

२४ अगस्त को मधेपुरा में कांग्रेस कार्य कर्मियों की सभा हुई। इसमे उपस्थित जनसमूह से किसी तरह की हिंसा नहीं करने को कहा गया। साथ ही सरकारी पदाधिकारियों को अपने अपने पद से इस्तीफा देने को कहा गया। किसनगंज थाना जनता के अधिकार में था। उसके अधिकारी एवं कर्मचारी दूसरे दिन भागलपुर चले गये। आन्दोलन को कुचलने के लिये २९ अगस्त को ५२ सैनिकों के दस्ते इस इलाके में दखिल हुए। इसके विरोध में सहरसा में विभिन्न गाँवों से हजारों लोग इकट्ठे हो गये। भीड़ पर सैनिकों

ने गोली चलायी जिससे चार आदमी घटना स्थल पर मारे गये तथा अनेक लोग घायल हो गये। मारे जाने वाले थे पुलकित कामत, हरिकान्त झा, भोला ठाकुर और कमलेश्वर मंडल।[१७]

यही सैनिक दस्ता ३१ अगस्त को दो बजे मधेपुरा पहुँचा। खादी भण्डार पर से राष्ट्रीय ध्वज उतार लिया। सैनिकों ने थाना में अपना शिविर रखा। कचहरी के सभी भवनों पर से ताले हटा दिये गये। लेकिन कुछ दिनों तक कुछेक वकील और मुख्तारों को छोड़कर वहाँ कोई नहीं दीख पड़ा। उसी दिन तीसरे पहर एक हवाई जहाज से लोगों को डराने के लिए नगर के ऊपर उड़ाने की गई। यह दस्ता अगले दिन १ सितम्बर को सहरसा लौट गया।[१८]

सैनिकों ने मधेपुरा अनुमंडल मुख्यालय पर निःसंदेह कब्जा जमा लिया था, पर ग्रामीण क्षेत्र पर अभी भी कांग्रेसियों का ही वर्चस्व था। कांग्रेजी कार्यकर्त्ताओं का गाँव जाकर रचनात्मक कार्य करने का अभियान निरन्तर एवं अवाध चलता रहा। ७ सितम्बर १९४२ ई. को कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की एक सभा कांग्रेस ऑफिस में हुई, जिसे शिवनन्दन प्रसाद मण्डल, पं. छेदी झा आदि नेताओं ने सम्बोधित किया। इस सभा में पूर्ण अहिंसक ढंग से अपना कार्यक्रम चलाते रहने का संकल्प लिया। लोगों में नये उत्साह का संचार हुआ। लोगों ने फिर मधेपुरा कचहरी और अन्य सरकारी कार्यालयों को बन्द कर दिया। इसी दिन आन्दोलनकारियों का एक बड़ी जत्था मधेपुरा थाना को कब्जा कर ताला जड़ दिया।[१९]

आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कड़ा रूख अपनाया। ११ सितम्बर, १९४२ ई. को भारी संख्या में सैनिक दल मधेपुरा अनुमण्डल पहुँचा। सेना ने आते ही मधेपुरा नगर पर पुनः अपना कब्जा जमा लिया। नगर की सारी दुकानें, जो १६ अगस्त १९४२ ई. से ही बन्द थी, तत्काल खुल गयी। १४ सितम्बर को नगर की शराब की दुकान खुल गई। सितम्बर के चौथे सप्ताह तक पूरे अनुमण्डल की सारी दुकानें खुल गयी।[२०]

तत्पश्चात् आन्दोलनकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अनुमंडल अधिकारी के यहाँ भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा १४३,१४८,३४१ के अन्तर्गत यदु झा, कार्तिक प्रसाद सिंह, महावीर सिंह, कमलेश्वरी मंडल, महतावलाल, कुदरत उल्लाह[२१], वैद्यनाथ धर मजुमदार, सरयुग प्रसाद, देवता सिंह तथा अन्य ५०० लोगों पर पुलिस ने मामला दायर किया। शीघ्र ही पुलिस ने देवदत्त खवास, कुदरत उल्लाह, देवता सिंह, कुंज विहारी लाल, भूपेन्द्र नारायण मंडल, कमलेश्वरी प्रसाद यादव तथा महताव लाल यादव को बन्दी बना लिया। पर शेष अभुयुक्त भाग जाने में सफल हुए। अतः पुलिस ने अन्य अभियुक्तों को फरार घोषित कर दिया। भागलपुर में अभियुक्तों पर करीब दो साल तक मुकदमा चला। अंततः १०-५-१९४४ को भागलपुर के दण्डाधिकारी एन. एन. दास गुप्ता ने अपनै फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार देवदत्त, कुदरत उल्लाह, देवता सिंह, भूपेन्द्र नारायण मंडल, कमलेश्वरी यादव एवं बेनी मंडल को छः छः मास की सश्रम कारावास की सजा हुई। अन्य अभियुक्तों पर सारे मुकदमें उठा लिये गये।[२२]

पुलिस दमन, गिरफ्तारी और आतंक का सिलसिला जारी था। जहाँ भी कांग्रेसी कार्यकर्त्ता को पकड़ लिया जाता उसे बुरी तरह घायल कर दिया जाता। कुछ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्त्ता फरार हो गये। स्थानीय देशद्रोहियों की सहायता से कुछ नेताओं का सुराग पुलिस को मिला। तदनुसार १५ सितम्बर १९४२ को सिंहेश्वर क्षेत्र के सरोपट्टी ग्राम में अम्बिका सिंह एवं तीन अन्य सत्याग्रही गिरफ्तार कर मधेपुरा लाये गये।[२३]

मुरलीगंज क्रान्तिकारियों का एक गढ़ था। अत: उनपर अंकुश लगाने हेतु एक सैनिक दल को मुरलीगंज में पदस्थापित कर दिया गया। यह दल पड़ोस के गाँवों में लोगों को सताया करता था। इस सशस्त्र दल ने १६ सितम्बर को अनिरूद्ध मंडल को गिरफ्तार कर लिया। उसी शाम को युगलकिशोर प्रसाद के घर की तलाशी ली। सैनिकों को विश्वास था कि यदु झा यहीं छिपे हैं। किन्तु इस तलाशी में उनका पता नहीं चला।[२४]

किसुनगंज में अभी भी स्थिति काबू से बाहर थी। अत: आन्दोलन को कुचलने के लिये २० सितम्बर को एक सैनिक दल किसुनगंज गया। सैनिकों को देखते ही जन-समूह भड़क उठा। सेना ने भीड़ पर गोलियाँ चला दी, जिससे ४ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा अनेक लोग घायल हो गये।[२५] किशुनगंज पर पूरी तरह काबू पा जाने के पश्चात् प्रशासन ने वहाँ के क्रान्तिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की। तदनुसार २५ नवम्बर १९४२ ई. को भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा १४४,१४७,३४१ तथा भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा ३८ के अन्तर्गत पुरिस ने कुलानन्द सिंह, रामवृक्ष सिंह, सत्यदेव मिसिर, भुनू मिसिर, उमा झा, दुर्गा धानुक, गेना धानुक, परमेश्वर झा, सरयू सिंह, भूवनेश्वर ठाकुर, सिंहेश्वर मंडल, मगली चौधरी, शिवनन्दन ठाकुर, सोमनाथ साहु के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया। तत्पश्चात पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू की और कुलानन्द सिंह, शिवनंदन ठाकुर, सोमनाथ साहु, सत्यदेव मिसिर, महताव लाल यादव एवं नरवंग राम को गिरफ्तार कर लिया। अन्य लोग फरार हो गये। मुकदमा लम्बी अवधि तक चला। नवरंग राम की मुकदमें के दौरान हीं मृत्यु हो गयी। मुकदमा का उद्देश्य मात्र आन्दोलनकारियों को मामले में उलझाये रखना था। अत: कुछ समय बाद इन अभियुक्तों पर से मामला उठा लिया।[२६]

मात्र पुलिस कार्यवाही एवं आन्दोलनकारियों के विरुद्ध केस करके प्रशासन शान्त नहीं हो गया। प्रशासन ने घोषणा की कि आंदोलन-कारियों ने उसकी अपार अचल-सम्पत्ति नष्ट की है। इसकी भरपाई आम जनता को करनी होगी। दूसरे शब्दों में प्रशासन ने सामूहिक जुर्माना लगाने का निश्चय किया। तदनुसार मधेपुरा थाना में रुपया २५९०७/-, सोनबरसा थाना में रूपया ५०००/-, किसुनगंज थाना में रुपया २१०००/- और मुरलीगंज थाना में रुपया १४३३५ जुर्माना लगाया गया।[२७]

यद्यपि पुलिस और सैनिकों के दमन से इलाके भर में भारी आतंक छा गया था तथा अनेक लोग (विशेषकर महिलाओं की) सुरक्षा के लिए जहाँ तहाँ भागते फिरते थे, पर आन्दोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। सैनिक तथा पुलिस ने लगभग हर बस्ती में अत्याचार किया। सैनिकों के अत्याचार की कहानी अवर्णनीय है। स्थानीय पुलिस ने भी लोगों से भारी रकमें वसूल की। पुलिस के आदमी प्राय: निर्दोष लोगों

को विभिन्न मामलों में फँसा देते और उनसे भारी रकम वसूल करते।[२८] फिर भी मधेपुरा की राजनीति में कोई गतिरोध नहीं आया और न निष्क्रियता ही आई। नगर और गाँवों में गाँधी जी के सारे रचनात्मक कार्य पूर्ववत् चलते रहे।

सन्दर्भ

१. P.C. Roy Chaudhary, *Saharsa District Gaxetteer*, Patna 1965, pp. 45-46.

२. शिव नन्दन प्रसाद मण्डल बिहार मंत्रिमण्डल में १९४७ ई. से १९५१ ई. तक संसदीय सचिव के रूप में कार्यरत रहे।

३. १९८८ ई. में देवेन्द्र यादव के नाम पर टंगराहा में एक उच्च विद्यालय खोला गया।

४. मधेपुरा स्थित भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, इनके ही नाम पर स्थापित है।

५. के.के. दत्ता, **बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास**, हिन्दी अनुवादक डॉ. विष्णु अनुग्रह नारायण, पटना, १९७४ ई., खण्ड ३ पृ. १५३.

६. हरे कृष्ण चौधरी के चाचा स्वतंत्रता सेनानी नंद किशोर चौधरी से साक्षात्कार के अनुसार।

७. **बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास**, खण्ड ३, पृ. १५२।

८. **वही**, खण्ड ३, पृ. १५२

९. वही, खण्ड ३, पृ. १५२-५३

१०. Police station of Madhepura circle, 1942, Bihar State Archives (BSA), Patna, State Central Records Office File NO. 90/42 pp. 17-18.

११. "List of the damage done to Governmental Property", 1942, BSA, State Central Records Office, file No. 90/42, pp.6-7.

१२. Police Station of Madhepura circle, 1942, BSA, State Central Record office File No. 90/42, pp. 17-18

१३. वैद्यनाथ धर से साक्षात्कार के अनुसार।

१४. **बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास**, खण्ड ३, पृ. १५३,१५७

१५. **वही**, पृ. १५३

१६. **वही**, पृ. १५३-५४

१७. **वही**, पृ. १५३-५४

१८. **वही**, पृ. १५४-५६

१९. **वही**, पृ. १५६-५७

२०. "List of Damage Done to Government Property and Others" 1942, BSA, State Central Record Office File NO. 90/42, pp. 6-7.

२१. कुदरत उल्लाह १९५२ ई. से १९६४ ई. तक बिहार विधान परिषद् के सदस्य थे।

२२. भागलपुर सिवल कोर्ट, १९४२ फौजदारी अभिलेख संख्या ६५८/४२

२३. **बिहार में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास**, खण्ड ३, पृ. १५८

२४. **वहीं**। स्वतंत्रता सेनानी वैद्यनाथ धर मजुमदार से लिये गये साक्षात्कार के अनुसार सैनिक छेदी झा को खोज रहे थे।

२५. *Saharsa District Gaxetteer*, 1965, p. 46.

२६. मधेपुरा सिविल कोर्ट, १९४२ फौजदारी मुकदमा अभिलेख संख्या ६३८/४२

२७. List of Fines Imposed Thana by Thana, 1943-45, BSA, State Central Record Office, File NO. 95/43-45, pp. 35-53.

२८. **बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास**, खण्ड ३, पृ. १५८।

THE JOURNAL

OF

THE BIHAR RESEARCH SOCIETY

PLATINUM JUBILEE VOLUME

VOLS. LXXVI-LXXVIII JANUARY - DECEMBER 1990-1992 Pts. I - IV

Chief Editor

LATE UPENDRA THAKUR

PUBLISHED BY

THE BIHAR RESEARCH SOCIETY

PATNA